मध्यप्रदेश शासन,

तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग

मंत्रालय

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 10 सितंबर, 2004

क्रमांक/एफ: 14–21/2004/42–1 विभाग के आदेश क्रमांक एफ:5–7/2000/42–1, दिनांक 08.11.2000 के द्वारा प्रदेश के शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं अशासकीय अनुदान प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण शुल्क का निर्धारण किया गया है । इसी प्रकार से स्व–वित्तीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों / तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण शुल्क का निर्धारण विभाग के आदेश क्रमांक एफ: 14–11/2003/42--1, दिनांक 24.06.2003 के द्वारा किया गया है ।

2/– निजी क्षेत्र के इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं निजी क्षेत्र की अन्य तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम यथा बी.ई. / बी.आर्क. /बी. फार्मा. / एम.बी.ए. तथा एम.सी.ए. संचालित कर रही हैं, में वर्ष 2004–05 से लिए जाने वाले शिक्षण शुल्क के निर्धारण के लिए न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री शचींद्र द्विवेदी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.05.2004 एवं 15.07.2004 के अनुपालन में राज्य शासन ने इन संस्थाओं में वर्ष 2004–05 के लिए अंतरिम शिक्षण शुल्क का निर्धारण विभाग के आदेश क्रमांक/एफ:14–33/2003/42–1 , दिनांक 16.08.2004 के द्वारा किया है ।

3/-- निजी क्षेत्र के इंजीनियरिंग महाविद्यालयों / निजी क्षेत्र की अन्य तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण शुल्क के पुनर्निधारण के फलस्वरूप यह आवश्यक हो गया है कि शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों, अशासकीय अनुदान प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं स्ववित्तीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों / तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में भी वर्ष 2004–05 से लिए जाने वाले शिक्षण शुल्क का पुनर्निधारण किया जावे । तदनुसार, राज्य शासन द्वारा इन संस्थाओं में वर्ष 2004–05 में प्रवेश लेने वाले छात्रों से लिए जाने वाले अंतरिम शिक्षण शुल्क का निम्नानुसार निर्धारण किया जाता है :–

क्रमांक	संस्था का प्रकार	पाठ्यक्रम	वर्ष 2004–05 के लिए निर्धारित अंतरिम शिक्षण शुल्क
1.	2.	3.	5.
1.	स्वशासी इंजीनियरिंग महाविद्यालय (जबलपुर, रीवा, सागर, उज्जैन.)	बी.ई. एम.सी.ए.	22300/– 24100/–
2.	अशासकीय अनुदान प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय (इंदौर, विदिशा, ग्वालियर)	बी.ई. बी.आर्क. बी.फार्मा. एम.सी.ए. एम.बी.ए.	22300/– 24600/– 23600/– 24100/– 27800/–
3.	स्ववित्तीय संस्थाएं जो विश्वविद्यालय द्वारा संचालित हैं/रूस्तमजी इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, टेकनपुर(ग्वालियर).	बी.ई बी.फार्मा. एम.बी.ए. एम.सी.ए.	22300/– 23600/– 27800/– 24100/–

4/– चूंकि राज्य शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क वर्ष 2004–05 के लिए अंतरिम शिक्षण शुल्क है, अतः राज्य शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया है कि इन संस्थाओं में अंतिम रूप से शिक्षण शुल्क के निर्धारण के लिए राज्य शासन को अनुशंसा देने के लिए निम्नलिखित समिति का गठन किया जाय :–

1. कुलपति, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल — अध्यक्ष
2. कुलपति, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल — सदस्य
3. सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग — सदस्य
4. संचालक, तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश — सदस्य सचिव

5/— उक्त समिति शिक्षण शुल्क के निर्धारण की अनुशंसा करते समय अशासकीय तथा गैर अनुदान प्राप्त संस्थाओं के लिए फीस निर्धारण समिति के लिए निर्धारित अंतिम शिक्षण शुल्क की दरें, राज्य शासन द्वारा अपने बजट से दी जा रही सहायता, आदि समस्त सुसंगत तथ्यों को ध्यान में रखकर तीन वर्ष के लिए (वर्ष 2004—05 से 2007—08 तक) शिक्षण शुल्क प्रस्तावित करेंगी ।

6/— अंतिम आदेश में यदि शिक्षण शुल्क का निर्धारण इस प्रकार से होता है कि शुल्क की राशि निर्धारित अंतरिम शिक्षण शुल्क से कम हो, उस अवस्था में संस्था के द्वारा अंतर की राशि का समायोजन वर्ष 2005—06 के छात्र के शिक्षण शुल्क से किया जावेगा । यदि अंतिम आदेश में शुल्क का निर्धारण इस प्रकार से होता है कि शुल्क की राशि अंतरिम शिक्षण शुल्क की राशि से अधिक है तो छात्र के द्वारा अंतर की राशि को वर्ष 2005—06 के शिक्षण शुल्क के साथ देना अनिवार्य होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डॉ.आर.के. दुबे)
अपर सचिव,
म.प्र. शासन
तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग

मध्यप्रदेश शासन,

तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग

<u>मंत्रालय</u>

पृ. कमांक/एफ.14–33/2003/42–1 भोपाल, दिनांक 10 ~~[illegible]~~ सितम्बर 2004

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई के लिए :–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल ।
2. कुलपति, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, एयरपोर्ट बायपास रोड, भोपाल ।
3. कुलपति, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल ।
4. संचालक, तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित कि वे समस्त संबंधित तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को शासन के निर्णय से अवगत करावें तथा समिति की बैठक के आयोजन की तत्काल कार्यवाई करें ।
5. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय (निवास) भोपाल ।
6. कुलसचिव, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, एयरपोर्ट बायपास रोड, भोपाल ।
7. विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति, टैगोर होस्टल, श्यामला हिल्स, भोपाल ।
8. संयुक्त संचालक,जनसंपर्क, प्रेस प्रकोष्ठ,मंत्रालय,वल्लभ भवन भोपाल ।

10/9/04

(एस.बी.एस. भदौरिया)

अवर सचिव,

तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग

तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश

सतपुड़ा भवन, भोपाल –462004.

/भोपाल, दिनांक 13/9/2004

पृ.क्रमांक/5/योजना/एस–1/04/978

प्रतिलिपि, निम्नांकित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु अग्रेषित :–

1. निदेशक/प्राचार्य, समस्त स्वशासी/अनुदान प्राप्त एवं स्ववित्तीय तकनीकी शिक्षण संस्थाऐं, मध्यप्रदेश ।
2. संयुक्त संचालक, उप विभाग–11, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश ।
3. संयुक्त संचालक, उप विभाग–4, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश ।
4. अधीक्षक, उप विभाग–11, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश ।
5. अधीक्षक, उप विभाग–4, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश ।

(आर.के. जैन)

उप संचालक, तकनीकी शिक्षा,

मध्यप्रदेश.

फोन: 0755–5203802.